

बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

आदेश

सं०सं०-ह०क०(१०) विविध-२४/२०१५

संकल्प सं० ११५३ दि० २४.०६.२०१५ अन्तर्गत मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के पात्र व्यक्तियों में रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेजो को शामिल करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके अन्तर्गत कण्डिका-०३, के अनुसार हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से एक विहित प्रक्रिया जारी किया जाना है। योजनान्तर्गत शामिल रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार किए जाते हैं। विहित प्रक्रिया के अन्य निदेश यथावत् रहेंगे। यह आदेश तात्कालिक समय से लागू होगा।

अनु०-अनुसूची-क

- (२) आवेदन पत्र का प्रारूप
- (३) स्थल जाँच प्रतिवेदन
- (४) घोषणा एवं शपथ-पत्र

ह०/-
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सभी उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)/महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

1325

पटना, दिनांक-

21/7/15

प्रतिलिपि:-सभी जिला पदाधिकारी/उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।
21/7

संकल्प सं०-1153 दि०-24.06.15 के आलोक में मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना अंतर्गत शामिल रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज आर्टिजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया

अनुसूची 'क'

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय से जारी दिशा निर्देश विहित प्रक्रिया एवं निदेशालय आदेश ज्ञापांक-1491 दि० 10.09.2013 द्वारा जारी संशोधित निर्धारित प्रक्रिया में निम्न संशोधन किये जाते हैं।

क्र०सं०	शीर्ष जिसमें संशोधन करणा है	प्रस्तावित संशोधन
1	योजना के पात्र रंगरेज आर्टिजन	रंगाई का निम्न कार्य करने वाले व्यक्ति योजना के पात्र होंगे। क) वस्त्र बुनाई हेतु धागा की रंगाई करने वाले ख) तैयार वस्त्र की रंगाई करने वाले ग) तैयार वस्त्र पर हस्तचालित छपाई करने वाले इनके पात्रता की अन्य शर्तें बुनकरों के सामान होंगी।
2	भुगतान की प्रक्रिया	रंगरेज आर्टिजन को भी चालू आर्टिजन क्रेडिट खाता में कच्चा माल क्रय हेतु मो० 5000/-रु० उपलब्ध कराया जाएगा।


निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।


मुख्यमंत्री समेकित हस्तरकघा विकास योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु रंगाई कार्य से जुड़े रंगरेज
आर्टिजन का आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित
फोटो

1. आवेदक का पूरा नाम—श्री/सुश्री.....
2. पिता/पति का नाम—.....
3. आयु—..... जन्म तिथि—.....
4. लिंग (पुरुष/महिला).....
5. श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी/अल्पसंख्यक) (कृपया इंगित करें).....
6. वर्तमान निवास का पता—.....
.....
7. स्थायी निवास का पता—.....
.....
8. फोन नं०/मोबाईल नं० (यदि हो).....
9. आर्टिजन कार्ड नं०/पहचान पत्र नं०/अन्य कोई आई० डी० सं०—.....
(आई०डी० दस्तावेज का नाम).....
(स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
10. किस कार्य से जुड़े हैं (रंगाई/छपाई).....
(एवं इसके लिए किस तरह का उपकरण/उपस्कर व्यवहार में लाया जा रहा है।).....
11. रंगाई/छपाई का अनुभव—.....
12. वर्तमान बैंक खाता—(खाता सं०)—.....
(a) बैंक का नाम—..... (b) शाखा का नाम—.....

मैं एदत् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त व्यौरे हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। गलत पाये जाने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान—
दिनांक—

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम—

स्थल जाँच प्रतिवेदन

श्री/सुश्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी..... द्वारा दिए गए इस आवेदन पत्र को चेक करने के उपरान्त स्थल जाँच किया एवं पाया कि वे गत वर्षों से रंगाई कार्य कर रहे हैं एवं रंगरेज वर्तमान में जिस साज सज्जा पर रंगाई कार्य कर रहे हैं। उन्हें बदलने की जरूरत है। इन्हें मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजना के विभिन्न घटकों 1.....
.....2. 3. के माध्यम से लाभान्वित करने की अनुशंसा की जाती है।

उद्योग विस्तार पदाधिकारी/तकनीकी पर्यवेक्षक/
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी

आवेदन घयन समिति के समक्ष उपस्थापित करने की अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है। आवेदन अनुशंसा नहीं किये जाने का कारण—

- 1.
- 2.
- 3.

महाप्रबंधक/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र)

घोषणा एवं शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी..... आयु

वर्ष..... निवासी (पूरा पता).....

..... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ एवं वचन देता हूँ कि—

1. मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ।
2. मेरा मुख्या पेशा रंगाई कार्य है एवं गत..... वर्षों से रंगाई कार्य लगातार कर रहा हूँ।
3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मुझे रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो मैं उसी मद में राशि खर्च करूंगा जिस मद में राशि विमुक्त की गयी है।
4. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मेरे द्वारा राशि का दुरुपयोग किया गया तो मुझपर कानूनी कार्रवाई की जाये।
5. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि गत 10 वर्षों के अन्दर शत प्रतिशत अनुदान पर रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस फंड की राशि एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराई गयी है।
6. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य/आश्रित इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र नहीं समर्पित किया गया है।
7. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि मैं उन सभी शर्तों एवं निदेशों का पालन करूंगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
8. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि यदि मुझे रंगाई कार्य हेतु साज सज्जा, कॉर्पस मनी एवं कर्मशाला निर्माण हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है तो एक माह के अन्दर रंगाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर एवं अगुठे का निशान

(वचनकर्ता/घोषणाकर्ता का नाम)

हम संपुष्टि करते हैं कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

..... ने उपरोक्त घोषणा/वचन पत्र बिना किसी दबाव/आग्रह के स्वास्थ मानसिक स्थिति में हमारे सामने दिनांक—..... घोषित करते हुए हस्ताक्षरित/सम्पादित किया है।

स्थान—

हस्ताक्षर मुहर सहित

दिनांक—